समाहरणालय, किशनगंज

(जिला आपदा प्रबंधन)

पत्रांक........../जि.आ., दिनांक................../2013

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
आपदा प्रबंधन,
किशनगंज।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक
-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, किशनगंज।

विषय :- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पोठिया के विरूद्ध दायर प्राथमिकी के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 290/जि.स्वा.स., दिनांक 25.02.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में यह कहना है कि पोठिया प्रखंड के महिला पर्यवेक्षिकाओं के माध्यम से जननी एवं बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभुकों की जांच करायी गयी थी। महिला पर्यवेक्षिकाओं ने कुल 10 पंजियों में जांच प्रतिवेदन दिया है। इन पंजियों की छायाप्रति इस कार्यालय के पत्रांक 532, दिनांक 03.12.12 द्वारा आपको उपलब्ध करायी जा चूकी है, जिसकी प्राप्ति रसीद की छायाप्रति इसके साथ संलग्न है। इस तरह से यह कहना कि कागजात नहीं उपलब्ध कराये गये है, सत्य से परे है। इस संबंध में यह आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता से स्पष्टीकरण पूछते हुए समन्तव्य अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

फिर भी, यदि मूल पंजियों की आवश्यकता है (जिसकी संभावना काफी कम है) तो उसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

विश्वासभाजन,

-ह0-
अपर समाहर्त्ता,
आपदा प्रबंधन,
किशनगंज।

ज्ञापांक...72.../जि.आ., दिनांक...26../..02./2013

प्रतिलिपि :-- जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-- जिला प्रबंधक (आई.टी. मैनेजर), किशगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/2/13

अपर समाहर्त्ता,
आपदा प्रबंधन,
किशनगंज।